छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

क्रमांक ...10....... /वि.स./संपदा/2019 रायपुर, दिनांक 21-01-2019

निविदा

विधानसभा सचिवालय के सोफा सेट की मरम्मत कार्य

छत्तीसगढ़ विधान सभा के लक्जरी व बुडन 1, 2, 3 एवं 4 सीटर सोफों की मरम्मत एवं कुशन (कपड़ा) बदलने संबंधी कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है । सोफे हेतु कुशन (कपड़ा) ब्रान्डेड कम्पनी (pure/GM/D'Decor ....आदि) तथा 40 डेन्सीटी फोम (Sleepwell (feather)/ Kurlon ....आदि) अथवा समतुल्य गुणवत्ता का उपयोग कर लेबर चार्ज सहित सम्पूर्ण जानकारी के साथ प्रस्ताव दिनांक 07 फरवरी, 2019 को अपरान्ह 3:00 बजे तक अनुभवी एवं प्रतिष्ठित संस्थाओं से आमंत्रित किये जाते हैं । निर्धारित तिथि एवं समय पश्चात् प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा । निविदा की विस्तृत जानकारी सचिवालय की संपदा शाखा से कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है अथवा विधानसभा सचिवालय की वेबसाईट www.cgvidhansabha.gov.in पर भी देखी जा सकती है ।

अपर सचिव,
छत्तीसगढ़ विधानसभा.

निविदा की शर्तें/जानकारी

1. निविदाकर्ता को सोफा रिपेयरिंग कार्य का अनुभव होना आवश्यक है ।
2. सोफे हेतु कुशन (कपड़ा) ब्रान्डेड कम्पनी (pure/GM/D'Decor ....आदि) तथा 40 डेन्सीटी फोम (Sleepwell feather/ Kurlon ....आदि) अथवा समतुल्य गुणवत्ता का उपयोग कर लेबर चार्ज सहित सम्पूर्ण जानकारी के साथ दर प्रस्तुत करनी होगी ।
3 प्रस्ताव के साथ कपड़े का नमूना लगाना आवश्यक होगा ।
4. 1,2,3 व 4 सीटर लक्जरी/वुडन सोफे की दर समस्त कर सहित तथा दरों की वैद्यता अवधि उल्लेखित करते हुए प्रस्ताव देना होगा !
5. निविदाकर्ता का वस्तु एवं सेवा कर पंजीयन होना अनिवार्य होगा ।
6. निविदाकर्ता को वित्तीय वर्ष 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 के आयकर गणना पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत करनी होगी ।
7. मुहरबंद निविदा के साथ अमानत राशि रूपये 25000/– (रूपये पच्चीस हजार मात्र) राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक की एफ.डी. (सावधि जमा) सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा, रायपुर के नाम से देय संलग्न करना होगा । अमानत राशि की एफ0डी0 पृथक लिफाफों में प्रस्तुत करनी होगी ।
8. 1 सीटर 2 नग, 2 सीटर 3 नग, 3 सीटर 15 नग एवं 4 सीटर 4 नग लक्जरी सोफों की मरम्मत तथा 1 सीटर 16 नग, 2 सीटर 20 नग, 3 सीटर 12 नग वुडन सोफो की मरम्मत की जाना प्रस्तावित है । जिसमें कमी या वृद्धि संभावित है ।
9. मरम्मत की जाने वाली सामग्री के अवलोकन हेतु संपदा शाखा से कार्यालयीन दिवस एवं समय पर सम्पर्क किया जा सकता है !
10. मरम्मत संबंधी कार्य कार्यादेश/पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर करना होगा ।
11. संस्था मरम्मत संबंधी कार्य विधानसभाा सचिवालय में कर सकती है । संस्था द्वारा कार्य अपनी स्वयं की कार्यशाला अथवा स्थान में करने की स्थिति में सामग्री के परिवहन का व्यय सचिवालय द्वारा देय नहीं होगा ।
12. निविदा प्रस्ताव विधानसभा भवन स्थित अनुभाग अधिकारी, संपदा शाखा कक्ष क्रमांक–बी–7 के पास दिनांक 07 फरवरी, 2019 अपराह्न 3:00 बजे तक जमा किया जा सकता है । निर्धारित समय–सीमा के पश्चात प्राप्त निविदाएं मान्य नहीं होगी ।
13. निविदा को मान्य या अमान्य करने का प्राधिकार सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा को होगा ।
14. किसी भी विवाद पर माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा ।

अपर सचिव,
छत्तीसगढ़ विधानसभा.